जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, जिला–दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

कलेक्टर कैंपस, पुराना कलेक्टर भवन, जिला शिक्षा कार्यालय दंतेवाड़ा
mis.dantewada@gmail.com

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

–:: आदेश ::–

क्रं./1939/समग्र शिक्षा/प्रा.शि./समा.शि./स्पे.एजु./2023–24 दन्तेवाड़ा, दिनांक 16/02/2024

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक/1880/समग्र शिक्षा/माध्यमिक/24–14/2023–24 रायपुर दिनांक 14.07.2023 के निर्देशानुसार समावेशी शिक्षा अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण में सहयोग जिले के 04 विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र, समग्र शिक्षा में स्पेशल एजुकेटर के पद पर निम्नांकित अभ्यर्थियों की अस्थाई नियुक्ति की जाती है :–

क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम/पिता/पति का नाम	स्थाई पता	चयनित पद	वेतन	पदस्थापना हेतु कार्यालय का नाम
1	श्री अभिषेक कुमार पिता श्री पंचम दास	ग्रा.मोहभटा पो.सरगांव तह.पथरिया मुंगेली	स्पेशल एजुकेटर	20,000/– (एकमुश्त)	समग्र शिक्षा, विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र दंतेवाड़ा
2	श्री अनिल कुमार पिता श्री छोटेलाल	ग्राम ठाकुरदेवा पो. ओखर थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर	स्पेशल एजुकेटर	20,000/– (एकमुश्त)	समग्र शिक्षा, विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र कुआकोण्डा
3	श्री रामचन्द्र पिता अनथ राम	ग्रा.पो. करगी कला तहसील कोटा, जिला बिलासपुर	स्पेशल एजुकेटर	20,000/– (एकमुश्त)	समग्र शिक्षा, विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र कटेकल्याण
4	रीतु उपाध्याय पिता श्री गोर्वधन प्रसाद	ग्रा.मसना, कोतरी, जिला मुंगेली	स्पेशल एजुकेटर	20,000/– (एकमुश्त)	समग्र शिक्षा, विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र गीदम

नियम एवं शर्तें :–

1. यह अस्थाई नियुक्ति 31/03/2024 तक की अवधि के लिए की गई है । कार्य मुल्यांकन, आवश्यकता तथा शासन से पद की निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त होने के आधार समिति की अनुशंसा पश्चात कार्य में वृद्धि की जावेगी ।
2. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय आवेदन के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा ।
3. चयनित अभ्यर्थी के कोई भी प्रमाण पत्र अपूर्ण अथवा गलत पाये जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा ।
4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । बिना सूचना के कभी भी सेवा समाप्त की जा सकती है ।
5. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड से मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना होगा ।
6. स्पेशल एजुकेटर पद हेतु निश्चित एवं एकमुश्त मानदेय रू. 20000/– (अक्षरी बीस हजार रूपये मात्र) प्रति माह दिया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
7. अभ्यर्थी को अनुबंध के आधार पर विशुद्व रूप से अस्थाई एवं निर्धारित अवधि के लिए रखा गया है अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं करेगा।
8. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से नियुक्त उम्मीदवार मानेदय वृद्वि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।
9. चयनित अभ्यर्थी को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

10. उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को दंतेवाड़ा जिला अंतर्गत समस्त विकासखण्डों में संचालित विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र में सेवा प्रदाय किया जाना होगा ।

कार्य दायित्व :–

1. विकासखण्ड एवं संकुलवार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का दिव्यांगतावार डाटा रखना।
2. चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना।
3. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिये तैयार करना तथा उनका संपूर्ण रिकार्ड एकत्र कर रखना ।
4. इन बच्चों के पालकों को समय–समय पर बैठक लेकर उन्मुखीकृत करना तथा बच्चों को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना ।
5. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना जैसे– छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगता भत्ता, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, एस्कार्ट –ट्रांसर्पोट रीडर एलाउन्स, बालिका शिष्यावृत्ति आदि ।
6. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण–प्रशिक्षण में सहयोग हेतु सामान्य शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करना ।
7. विभिन्न विभागों व एनजीओ से संपर्क कर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण व अन्य लाभ की व्यवस्था कराना ।
8. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना (IEP) तैयार करने में शिक्षक का सहयोग करना, जिससे बच्चे में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसका मूल्यांकन कर सके।
9. शालाओं में पियर्स ग्रुप (सहपाठी समूह) तैयार करना जिससे वे बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मदद कर सके ।
10. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शालाओं में बाधा रहित वातावरण निर्मित करने में शिक्षकों को प्रोत्साहित करना एवं उनकी संकल्पनाओं का निर्णय करना ।
11. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुसार वास्तविक जरूड का ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना तथा नियमित कक्षा के अतिरिक्त बच्चों के समझ हेतु पृथक प्रयास करना ।
12. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियमित उपस्थिति व ठहराव पर नजर रखना व योजना बनाकर उपाय बनाना एवं बच्चों के पालकों को उपयोगी सहयोग प्रदान कर उनके पालकों से सतत संपर्क में रहना ।
13. शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्या एवं समाधान के बारे में आवश्यक परामर्श देना तथा उनकी आवश्यकता के अनुकूल कक्षागत रणनीति व पाठ्यक्रम में उचित सुधार व सुझाव देना ।
14. विकासखण्ड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर आधारित चलने वाले कार्यक्रम से फीडबैक लेकर सुधारात्मक उपाय बनाना ।
15. जनभागीदारी समिति (SMC&SMDC) में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जानकारी देना व उनके लिये निदानात्मक उपाय बनाकर लागू करना।
16. रिसोर्स सेंटर में CWSN बच्चे जिन्हें थैरेपी की आवश्यकता हो उन्हें विशेष प्रशिक्षण एवं आवश्यक थेरेपी प्रदान करने में सहयोग करना तथा इस हेतु पालकों को प्रशिक्षित करना/जागरूक करना / सहयोग देना ।
17. भ्रमण के दौरान प्राप्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची तैयार कर उसकी आवश्यकता को पूरा कराने के लिए प्रयास करना एवं किये गये प्रयास की जानकारी संबंधित शाला / जनभागीदारी समिति / पालक को देना ।
18. सामान्य शिक्षकों को बेल–लिपि, सांकेतिक भाषा, 21 प्रकार की दिव्यांगता, चेक लिस्ट, शालाओं में बाधारहित वातावरण, पाठ्यक्रम अनुकूलन आदि का प्रशिक्षण देना ।
19. समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग से सतत् संपर्क स्थापित करना व इन विभागों के द्वारा विशेष

आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से लाभान्वित करना ।

20. प्रत्येक संकुल को कव्हर करना एवं इसकी सूचना पूर्व में संकुल समन्वयक को प्रदान करना जिससे उपस्थिति की सूचना शाला स्तर एवं पालकों तक पहुंचाया जा सके।

21. इसके अतिरिक्त समय–समय पर राज्य एवं जिला स्तर से दिये गये आदेश/निर्देशों के अनुसार कार्य करना ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

Damel

डिप्टी कलेक्टर
एवं अध्यक्ष भर्ती समिति,
जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ0ग0)

क्रं./1939 A/समग्र शिक्षा/प्रा.शि./समा.शि./स्पे.एजु./2023–24 दन्तेवाड़ा, दिनांक 16../02/2024

प्रतिलिपि :–

1. प्रंबध संचालक, राज्य परियेजना, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा, जिला द0ब0दंतेवाड़ा को सादर सूचनार्थ ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत पदेन जिला परियोजना संचालक, समग्र शिक्षा, जिला द0ब0दंतेवाड़ा को सादर सूचनार्थ ।
4. संयुक्त कलेक्टर एवं सहायक नोडल अधिकारी, जिला द.ब.दंतेवाड़ा को सादर सूचनार्थ ।
5. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दंतेवाड़ा, गीदम, बचेली को सादर सूचनार्थ ।
6. सहायक जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा (माध्यमिक स्तर जिला दंतेवाड़ा को सूचनार्थ ।
7. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/खण्ड स्त्रोत समन्वयक, विकासखण्ड .... को सूचनार्थ कर लेख है कि संबंधितों की उपस्थिति लेकर इस कार्यालय को अवगत करावें ।
8. संबंधित श्री/श्रीमती/कु. रामचन्द्र पि. ना. अतड्डू राम, ... को आदेश पालनार्थ एवं सूचनार्थ कर लेख है कि आप दिनांक 24/02/2024 तक आदेशित संस्था में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें एवं दिये गये कार्य दायित्व अनुसार कार्य संपादित करें ।

Damel

डिप्टी कलेक्टर
एवं अध्यक्ष भर्ती समिति,
जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ0ग0)

प्रति,

खण्ड स्त्रोत समन्वयक विकासखण्ड कटेकल्याण
जिला - दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा

विषय - स्पेशल एजुकेटर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने बाबत

संदर्भ :- जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला - दक्षिण दंतेवाड़ा के पत्र क्रमांक 1939 समग्र शिक्षा प्रा. शि. / समा. शि. / स्पे. एजु. /2023-25

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला - दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के पत्र क्रमांक - 1939 समग्र शिक्षा के तहत स्पेशल एजुकेटर के पद पर मेरी नियुक्ति हुई है।

अतः आज दिनांक 21-02-24 को अपराह्न समय 1:40 को विकासखण्ड स्त्रोत कार्यालय समग्र शिक्षा कटेकल्याण में कार्यभार ग्रहण कर लिया हूँ।

आज दिनांक 21/02/2024 को अपरान्ह 1.40 बजे रामचन्द्र अपनी उपस्थिति दिये।
दिनांक 21/02/24
[signature] 21/02/24
B.R.C. Katekalyan

[signature] आवेदक
रामचन्द्र
पद - स्पेशल एजुकेटर
Mo. - 9630664962